

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 749/2024
अनवान : -

1. मेहताबराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजाराम पुत्र हजारी जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. नत्थूराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. राजबाला उर्फ नार्थी पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. विनोद पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955


उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय


दिनांक: 19/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 187/154 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 12 डीपीएन के खाता स० 195/175 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा चक मन्दराना तहसील नोहर के खाता स० 34/34 की कुल 13.0370 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/18 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 180/177 की कुल 12.4310 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 200/202 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 373/352 की कुल 31.8050 हैक्ट भूमि में से 8431/318050 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के तथा रोही मौजा कल्लासर तहसील पल्लू के खाता स० 387/366 की कुल 19.1590 हैक्ट भूमि में से 24/595 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के तथा रोही मौजा 3 बीआरएन तहसील टिब्बी के खाता स० 43/33 की कुल 6.6810 हैक्ट भूमि में से 1115/13362 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 53/46 की कुल 5.8050 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 152/147 की कुल 27.7350 हैक्ट भूमि में से 3287/55470 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4109/92450 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 2 तथा 4109/92450 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है




उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेलो के कृषि भूमि दर्ज हो गयी है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का भी जन्मजात हक हिस्सा है। पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 187/154 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार रहेगे एवं रोही मौजा 12 डीपीएन के खाता स० 195/175 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार रहेगे तथा रोही मौजा चक मन्दराना तहसील नोहर के खाता स० 34/34 की कुल 13.0370 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/18 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक त्याग करने से प्रतिवादी स० 2 अकेला 2.172833 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 180/177 की कुल 12.4310 हैक्ट भूमि में 1.518 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार रहेगा एवं शेष 10.913 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब संयुक्त खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 200/202 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 373/352 की कुल 31.8050 हैक्ट भूमि में से 8431/318050 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 4 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा रोही मौजा कल्लासर तहसील पल्लु के खाता स० 387/366 की कुल 19.1590 हैक्ट भूमि में से 24/595 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 2.3184 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार रहेगा तथा रोही मौजा 3 बीआरएन तहसील टिब्बी के खाता स० 43/33 की कुल 6.6810 हैक्ट भूमि में से 1115/13362 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स० 2 अकेला 1.115 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 53/46 की कुल 5.8050 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार रहेगा तथा रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 152/147 की कुल 27.7350 हैक्ट भूमि में से 3287/55470 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4109/92450 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 2 तथा 4109/92450 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.8855 हैक्ट भूमि का एवं शेष 3.2234 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी स० 4 बहिब संयुक्त खातेदार रहेंगे। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।


 उपखण्ड अधिकारी
 नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 187/154 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 12 डीपीएन के खाता सं० 195/175 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा चक मन्दराना तहसील नोहर के खाता सं० 34/34 की कुल 13.0370 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/18 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता सं० 180/177 की कुल 12.4310 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता सं० 200/202 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं० 373/352 की कुल 31.8050 हैक्ट भूमि में से 8431/318050 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के तथा रोही मौजा कल्लासर


उपस्युद्ध अधिकारी
नोहर


तहसील पल्लु के खाता स० 387/366 की कुल 19.1590 हैक्ट भूमि में से 24/595 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के तथा रोही मौजा 3 बीआरएन तहसील टिब्बी के खाता स० 43/33 की कुल 6.6810 हैक्ट भूमि में से 1115/13362 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 53/46 की कुल 5.8050 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 152/147 की कुल 27.7350 हैक्ट भूमि में से 3287/55470 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4109/92450 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 2 तथा 4109/92450 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 187/154 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 12 डीपीएन के खाता स० 195/175 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक मन्दराना तहसील नोहर के खाता स० 34/34 की कुल 13.0370 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर 2.172833 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 180/177 की 12.4310 हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 2 को 1.518 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 10.913 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 200/202 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि अर्थात् 0.63225 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 373/352 की कुल 31.8050 हैक्ट भूमि में से 8431/318050 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा कल्लासर तहसील पल्लु के खाता स० 387/366 की कुल 19.1590 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 24/595 हिस्सा भूमि दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी स० 3 का नाम

अ
अखण्ड अधिकारी
नोहर

कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 अकेले को 2.3184 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बीआरएन तहसील टिब्बी के खाता स0 43/33 की कुल 6.6810 हैक्ट भूमि में से 1115/13362 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है में उक्त दोनो का नाम कलमजन किया जाकर 1.115 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 53/46 की कुल 5.8050 हैक्ट भूमि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.645 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 152/147 की कुल 27.7350 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 4109/92450 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4109/92450 हिस्सा भूमि तथा 3287/55470 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर 0.8855 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को तथा शेष 3.2234 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को संयुक्त बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 749/2024

अनवान : -

1. मेहताबराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजाराम पुत्र हजारी जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. नत्थूराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. राजबाला उर्फ नाथी पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. विनोद पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 749 सन 2024 निर्णय दिनांक 19/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 187/154 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 12 डीपीएन के खाता स0 195/175 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक मन्दराना तहसील नोहर के खाता स0 34/34 की कुल 13.0370 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर 2.172833 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 180/177 की 12.4310 हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 2 को 1.518 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 10.913 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 200/202 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि अर्थात् 0.63225 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 373/352 की कुल 31.8050 हैक्ट भूमि में से 8431/318050 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा कल्लासर तहसील पल्लू के खाता स0 387/366 की कुल 19.1590 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 24/595 हिस्सा भूमि दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी स0 3 का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 अकेले को 2.3184 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बीआरएन तहसील टिब्बी के खाता स0 43/33 की कुल 6.6810 हैक्ट भूमि में से 1115/13362 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है में उक्त दोनो का नाम कलमजन किया जाकर 1.115 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 53/46 की कुल 5.8050 हैक्ट भूमि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.645 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 152/147 की कुल 27.7350 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 4109/92450 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4109/92450 हिस्सा भूमि तथा 3287/55470 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर 0.8855 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को तथा शेष 3.2234 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को संयुक्त बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर